जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह (म.प्र.)

सनदी लेखाकारों की सेवायें प्राप्त करने हेतु नियम व शर्ते वर्ष 2025–2026

1. किसी संपरीक्षण फर्म को अधिकतम 05 शाखायें आवंटित की जावेंगी। बैंक को आवंटित शाखाओं को बदलने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
2. अंकेक्षण प्रतिवेदन त्रैमासिक आधार पर होगा एवं पारिश्रमिक के अतिरिक्त टी.ए.डी.ए. या लार्जिंग बोर्डिंग या अन्य व्यय देय नहीं होगा।
3. सतत् अंकेक्षण में शत प्रतिशत अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।
4. न्यूनतम योग्यता के लिए फर्म में दो सनदी लेखापालों का जिसमें एक एफ.सी.ए. फुल टाईम पार्टनर हो तथा फर्म पंजीयन दिनांक से 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी हो।
5. सनदी लेखापाल फर्म के पास डीसा/सीसा प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यिक बैंकों का तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य हैं।
6. सनदी लेखापाल को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
7. समवर्ती लेखा परीक्षक फर्म को दिया गया संपरीक्षण कार्य किसी अन्य फर्म को इनके द्वारा नहीं दिया जावेगा।
8. आवेदन को कम्पनी अधिनियम की धारा 226 के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
9. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म के किसी साझेदार/निर्देशक द्वारा बैंक/बैंक की शाखाओं के साविधिक अंकेक्षण सतत् अंकेक्षण स्थायी संपत्ति के मूल्यांकन के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।
10. फर्म को बैंकों के आंतरिक/सांविधिक अंकेक्षण का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक हैं।
11. यदि फर्म के किसी पार्टनर/प्रोप्राइटर के बैंक के किसी कर्मचारी/पदाधिकारी/संचालक से पारिवारिक संबंध होने में उसका आवेदन पत्र में उल्लेख करना आवश्यक होगा।
12. बैंक द्वारा परीक्षक की नियुक्ति के उपरांत परीक्षक द्वारा अभिस्वीकृति पत्र बैंक को बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भेजा जावेगा।
13. जिन अंकेक्षण फर्मो का समवर्ती लेखा परीक्षक हेतु चयन किया जावेगा उन फर्मो को बैंक द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पत्र दिया जावेगा।
14. संबंधित अंकेक्षण फर्म द्वारा अभिस्वीकृति पत्र के साथ दस्तावेज मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को सीधे प्रेषित किये जावेगे।

    i. पार्टनरशिप/डीड/मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एशोसिएशन की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
    ii. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाएन्टेंट के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
    iii. बैंक द्वारा जारी कार्य आवंटन पत्र की प्रति।
    iv. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार कम्पनियों/बैंकों के सांविधिक/समवर्ती/अन्य अंकेक्षण से संबंधित जानकारी की प्रति।
    v. बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिस्वीकृति पत्र।
    vi. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, संलग्न करें।

15. अंकेक्षण मे पाई गई त्रुटियों/आपत्तियों की सूची पृथक से प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य हैं।

16. समवर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में तीन प्रतियों में बैंक को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

17. सनदी लेखापाल की योग्यता :–

i. सनदी लेखापाल अधिनियम 1949 के तहत एक से अधिक पार्टनर सनदी लेखापाल।
ii. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो।
iii. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक।

18. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाए म0प्र0 भोपाल के अनुमोदित पेनल वर्ष 2024–2025 में फर्म का नाम होना आवश्यक हैं।

19. अंकेक्षण आवंटन के समय सनदी लेखापाल फर्म को यदि कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक म.प्र. भोपाल द्वारा विभाग की काली सूची में सम्मिलित हैं तो संबंधित फर्म को अंकेक्षण आवंटन नहीं किया जावेगा।

20. सनदी लेखापाल को यदि कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल द्वारा जिला बैंक दमोह का सांविधिक अंकेक्षण वर्ष 2025–2026 का आवंटन आदेश जारी होता हैं तो बैंक का कान्करेंट अंकेक्षण कार्य त्याग करना होगा।

21. सनदी लेखापाल फर्म के पार्टनर एवं आर्टिकल स्टाफ की अंकेक्षण कार्य के समय परिचय पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावेगी।

22. बैंक को असत्य जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक एवं इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेंट को सूचित करने का अधिकार होगा।

23. प्रत्येक शाखा का त्रैमासिक कान्करेंट अंकेक्षण शुल्क रू. 5000/– अंकन पाच हजार रू. एवं जी.एस.टी. पृथक से देय आधार पर करानें की दर पर एवं इसके अलावा कोई टी.ए. ,डी.ए. देय नहीं होगा।

24. प्रत्येक त्रैमास का पृथक–पृथक कान्करेंट अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत् करना होगा।

25. फर्म को आडिट लॉगिन व्यू का एक्सेस उपलब्ध कराया जावेगा तथा लॉगिन के समय संबंधित सीसा/डीसा धारी पार्टनर का बायोमेट्रिक से लॉगिन अनिवार्य किया जावेगा।

26. सतत् अंकेक्षकों द्वारा शतप्रतिशत प्रत्येक बाउचर के संबंधित संव्यवहार का बेरीफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। यदि सी.बी.एस. से संबंधित एंट्री का मिलान नहीं होता है तो अंकेक्ष कइस संबंध में विस्तृत टीप प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य कार्यापालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
दमोह, (म.प्र.)